कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव

जिला–कोंडागांव (छ.ग.)

फोन/फैक्स: 07786-242308 E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

O/o The E.E.400 KV Line Constn.Dn.CSPTCL Kanker RECEIPT No. 548 23/07/18

क्रमांक/मा.चि./ 5739 कोंडागाव, दिनांक : 13/07/2018

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
400 के.व्ही. लाईन (निर्माण) संभाग,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित
एकता नगर, ठेल्कबोड़ कांकेर छत्तीसगढ़

विषयः– *Diversion of Forest Land For Non-Forest Purpose under forest Conservation act, 1980 Proposal for Constn. of 132 KV Kondagaon - Narayanpur Transmission Line Area - 37.874 ha. regarding.*
–आनलाईन पंजीयन क्रमांक– *FP/CG/TRANS/22922/2016.*

संदर्भः–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–157/1561,दिनांक 23/05/2018 एवं मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/मा.चि./2018/4125, दिनांक 06/06/2018 एवं 4918, दिनांक 13/06/2018.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–157/2075,दिनांक 02/07/2018.

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। प्रकरण में कोंडागांव से नारायणपुर में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु 37.874 हेक्टेयर (दक्षिण कोंडागांव बनमंडल के 27.627 हे. एवं नारायणपुर वनमंडल के 10.247 हेक्टेयर) वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा अधिरोपित शर्तो के साथ अंतिम चरण स्वीकृति जारी किया गया है। शासन द्वारा जारी अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन आपके पत्र क्रमांक/0800/का.यं./400 के.व्ही.ला.नि./36, दिनांक 11/04/2018 द्वारा 04–04 प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./504, दिनांक 18/04/2018 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रेषित किया गया था।

संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार शासन द्वारा जारी अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन बिन्दुवार पृथक – पृथक 04 –04 प्रतियों में प्राप्त कर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–2019 के प्रचलीन दर से अंतर की राशि आवेदक विभाग को जमा करने का निर्देश है। वर्ष 2017–2018 के प्रचलित नवीन दर के आधार पर क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 600222/–राशि प्रति हेक्टेयर के आधार पर दुगुने क्षेत्र 76.00X600222= 4,56,16,872/–रूपयें पूर्व में ही आपके द्वारा कैम्पा खाता में जमा किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के प्रचलीन दर 660245/– रूपयें प्रति हेक्टेयर के आधार पर दुगुने क्षेत्र 76.00X660245= 5,01,78,620/– रूपयें होता है। जिसमें से अंतर की शेष 45,61,748/–(रू. पैत्तालिस लाख इक्कसठ हजार सात सौ अड़तालिस) मात्र को भारत सरकार के वेब साईट पर चालान उत्पन्न कराकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर के कार्यालय से ऑनलाईन अनुमोदन प्राप्त कर राशि कैम्पा खाता में जमा कर ई–चालान के माध्यम से सत्यापित पावती एवं शासन द्वारा जारी अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन पृथक – पृथक 04–04 प्रतियों में तैयार कर तत्काल इस कार्यालय में प्रेषित करने हेतु लेख किया गया था, जो आज तक अप्राप्त है। उक्त संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक–2 द्वारा पुनः निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः आप उक्त निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अंतर की शेष राशि 45,61,748/–रूपयें ई–चालान के माध्यम से जमा कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर के कार्यालय से ऑनलाईन अनुमोदन प्राप्त करें। कैम्पा खाता में राशि जमा करने की ई–चालान की सत्यापित पावती एवं शासन द्वारा जारी अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन पृथक – पृथक 04–04 प्रतियों में तैयार कर तत्काल जमा करने का कष्ट करें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय को पालन प्रतिवेदन भेजा जा सकें।

वनमंडलाधिकारी
एवं नोडल अधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव

क्रमशः..2..

वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करें।

पृ.क्रमांक/मा.चि./5740 कोंडागांव, दिनांक : 13/07/2018

प्रतिलिपि :

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर छत्तीसगढ़** की ओर इस कार्यालय के पृ.क्रमांक/मा.चि./4919, दिनांक 13/06/2018 के संदर्भ में संदर्भित पत्र क्रमांक–2 के परिपालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
2. **मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर** की ओर इस कार्यालय के पृ.क्रमांक/मा.चि./4919, दिनांक 13/06/2018 के संदर्भ में संदर्भित पत्र क्रमांक–2 के परिपालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
3. **वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल, नारायणपुर** की ओर इस कार्यालय के पृ.क्रमांक/मा.चि. /4919, दिनांक 13/06/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। है।
4. **उपवनमंडलाधिकारी, पश्चिम कोंडागांव, उपवनमंडल** की ओर इस कार्यालय के पृ.क्रमांक/मा.चि. /4919, दिनांक 13/06/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
5. **वन परिक्षेत्र अधिकारी, नारंगी परिक्षेत्र** की ओर इस कार्यालय के पृ.क्रमांक/मा.चि./4919, दिनांक 13/06/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी
एवं नोडल अधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव